अवैध कालोनियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 23 मार्च । नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा शहर में बन रही अवैध कालोनियों तथा इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कालोनाईजरों को नोटिस दिये गये है। इन अवैध कालोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व विभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पालिक निगम रतलाम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन किया गया है।

अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी।

22 मार्च को दल द्वारा डोंगरा नगर के पीछे की तरफ बन रही अवैध कालोनी की सड़कों पर जेसीबी चलाकर उखाड़ा गया तथा वहीं अवैध रूप से बन रहे भवनों की निर्माण सामग्री जब्त की गई।

कालोनाईजर तथा भवन निर्माण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी प्रचलित कर दी गई है। अवैध बने मकानों को भी ध्वस्त किया जावेगा। निगम व जिला प्रशासन की इस मुहीम के अन्र्तगत वर्तमान में प्रकाश में आयी सभी अवैध कालोनियों व उनके कालोनाईजरों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर पुलिस प्राथमिकी व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।